Regarding illegal land acquisition in Muzaffarnagar

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं सरकार के संज्ञान में ला कर कार्रवाई की मांग करता हूँ । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ़्फ़रनगर में भू-माफ़िया स्थानीय प्रशासन से मिल कर एक बड़े भू-भाग को, जो पिछले 500-700 सालों से बसा हुआ शहर का भाग था, उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया, ताकि जो मुजफ़्फ़रनगर के दक्षिण का भाग है, जहां सत्तासीन एक व्यक्ति की प्राइवेट कॉलोनी है, प्राइवेट बिल्डर्स को लाभ हो सके । मान्यवर, गांधी कॉलोनी, द्वारकापुर, सनातन कॉलोनी में रहने वाले लोग आज न बैंक से लोन ले पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं । मान्यवर, अब भू-माफिया की निगाह धार्मिक स्थलों पर पड़ी है । रेलवे स्टेशन के सामने, शहर के बीचों-बीच एक धार्मिक स्थल, जिसकी स्थापना सन् 1900 के लगभग रुस्तम अली खां साहब ने की थी जिनका देहांत वर्ष 1918 में हो गया था यानी उस मस्जिद की स्थापना ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसका जन्म भी हिन्दुस्तान में हुआ और मृत्यु भी हिन्दुस्तान में हुई । उसको यह कह कर कि यह शत्रु संपत्ति है, उस पर कब्ज़ा करने और उस पर कमर्शियल कॉम्पलैक्स बनाने का षडयंत्र स्थानीय प्रशासन से मिल कर किया जा रहा है ।

मान्यवर, यही नहीं, पूर्व में मुहर्रम के जुलूस के समय इन लोगों ने रास्ते में, जब कि व्यवस्था है कि सन् 1947 के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, रास्ते में एक गेट बना कर के जुलूस को रोकने का काम किया । इससे तनाव व्याप्त हुआ । स्थानीय प्रशासन मौन है और इनके दबाव में है । राजस्व अभिलेख में 1325 फसली वर्ष यानी वर्ष 1918 में भी इन धार्मिक स्थलों के होने का जिक्र है, सराय होने का जिक्र हैं ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना विषय बता दीजिए ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि ऐसे अधिकारियों, जिनकी मिलीभगत से वे ऐसा काम कर रहे हैं, उनके विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह का धार्मिक स्थल में परिवर्तन न हो ।